छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 6,1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन का उल्लेख

डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पटल पर रखेंगे।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023—2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023—2024 (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023—2024 (01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(4) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगे।

5. दिसम्बर, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

6. नियम 267–क के अधीन दिसम्बर, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम लोफंदी में मादक पदार्थों के सेवन से लोगों की मौतें होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सुव्यवस्थित कार्य योजना नहीं बनाये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बुधवारा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(ii) ग्राम बीजाबैरागी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(iii) ग्राम जंगलपुर में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
(iv) ग्राम खैरझिटी पुराना में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,
(v) ग्राम दामापुर बाजार में हाई स्कूल भवन निर्माण करने,
(vi) ग्राम धरमगढ़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,
(vii) ग्राम सुकलीगोविंद में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
(viii) ग्राम खरहट्टा में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,
(ix) ग्राम डोंगरिया खुर्द मोड़ से कंवलपुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

क्रमशः 3

(x) ग्राम पंचधार से पंवरजली–धिकुडिया होते हुए बिपतरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(xi) ग्राम सोमनापुर नया से करपीकला तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(xii) ग्राम रणवीरपुर से भैंसासुर, खर्रावार होते हुए बिरेन्द्र नगर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(xiii) ग्राम बघर्रा से भुवालपुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(xiv) ग्राम रणवीरपुर–डुमरिया–साजा मार्ग में नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(xv) ग्राम बिरेन्द्रनगर में नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(xvi) ग्राम पंवरजली में नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(xvii) ग्राम बिरनपुर में नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(xviii) ग्राम खण्डसरा में नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(2) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) नंदिनी रोड से बोगदा पुलिया, कुरूद, अवंति बाई चौक, गदा चौक तक मुख्य सड़क के दोनों ओर फुटपाथ निर्माण करने,

(ii) नंदिनी रोड नाले के दोनों ओर केनाल रोड निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

11. वित्तीय वर्ष 2024–2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

3 घंटे

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या –1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 54, 56, 64, 65 67, 71, 75, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **उन्नीस हजार सात सौ बांसठ करोड़, बारह लाख, बयालीस हजार, पांच सौ तेईस रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–1) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 24 फरवरी, 2025